राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुनील कुमार / अवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 284/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/12/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश अन्य अपील संख्या 284/2021 के साथ प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/07/2012 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र एवं अपील के तथ्यों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30/07/2012 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में भी एक अपील प्रस्तुत हो चुकी है जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26/08/2019 को किया जा चुका है एवं इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26/08/2019 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील भी हो चुकी है जिसका निर्णय भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 09/03/2021 को किया जा चुका है । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09/03/2021 के सन्दर्भ में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष पुर्नरावलोंकन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है। चूँकी इस न्यायालय द्वारा एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय पारित किये जा चुके है। अत: इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत इस अपील के माध्यम से पुन: विवेचन किया जाना विरोधाभासी एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय की अवहेलना की परिभाषा में आयेगा। चूँकी प्रार्थी/अपीलार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री के सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध पुर्नरावलोंकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उसी प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/07/2012 के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील संधारणीय नही रहती है। अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय अपील ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/12/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	